सहकारी बैंकों की ऋण योजनाओं की संरचना और भारत में ऋण नीतियां

*देवेंद्र राज सिंह

संक्षेप:-

किसी भी क्रेडिट सोसाइटी की संरचना इसे संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चूँकि निवेश के उद्देश्य से नई तकनीक और संसाधन अपनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यशील पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसके अलावा बैंकिंग और संबंधित गतिविधियां निजी पूंजी निर्माण बढ़ाने हेतु, जो ग्रामीण परिवारों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए आवश्यक है, पर्याप्त ऋण समर्थन की जरूरत है। उत्पादन और रोजगार बैंकों के लिए ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। क्रेडिट सोसाइटी नीति भी इसके विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण का कार्य करती है। प्रस्तुत शोध पत्र भारत की क्रेडिट संरचनाओं और क्रेडिट नीतियों से संबंधित है।

Ke**y**word**:** क्रेडिट संरचना, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट ऋण, बीमा।

परिचय:-

सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, जैसे- ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक अपने संगठन उद्देश्यों, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं। उल्लेखनीय है, कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। सहकारी बैंकों का स्वामित्व व नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं, एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के तहत आते हैं, सहकारी बैंक सहकारी समिति के तहत पंजीकृत किए जाते हैं।

सहकारी साख समिति का प्रारूप दो प्रकार का होता है 1. शहरी सहकारी बैंक व 2. ग्रामीण

सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक के अंतर्गत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक व गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक आते हैं, तथा ग्रामीण सहकारी बैंक के अंतर्गत अल्पावधि ग्रामीण सहकारी बैंक जिसमें राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां आते हैं, तथा दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी बैंक जिसमें राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आते हैं।

एक सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय निम्न आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए 1. ठोस व वसूली योग्य बुनियाद पर ऋण प्रदान करना 2. कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को उधार देने के मामलों में नाबार्ड के निर्देशों और सलाह के अधीन बैंक की निधियों को लाभप्रद रूप से निवेश करें, जहां उस समुदाय की वैध ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विचार किया जाता है, जहां बैंक उत्पादक और अन्य वांछनीय उद्देश्यों के लिए काम करता है। 3. लाभदायकता को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप बनाना होगा।

साहित्य पुनरावलोकन:-

सचिन आर. अग्रवाल एटल (2012) ने कहा कि स्वावलंबन ही सहकारी समितियों की प्रगति का मुख्य विषय है, सहकारी बैंकों को समग्र प्रणाली के रूप में काम करना चाहिए और आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए। बैंकिंग के उच्च अधिकारियों को मूल संस्थानों के रूप में निचले अधिकारियों की मदद करनी चाहिए। उन्हें अधिकार, नेतृत्व, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण प्रदान करना चाहिए। व्यवस्था में परस्पर सहयोग, सहायता, उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व होना चाहिए ताकि दोनों स्तरों के बीच एक अच्छा और प्रभावी संबंध हो।

वैद्यनाथन (2012 ने इस बारे में चर्चा की कि इस अस्वास्थ्यकर स्थिति के लिए कौन से कारक और ताकतें जिम्मेदार हैं? सहकारी समितियों के प्रदर्शन में सुधार के प्रयासों का अनुभव क्या है? और क्या कारण हैं कि वे प्रभावी नहीं रहे हैं? कि ये प्रयास किए गए हैं) अप्रभावी का अर्थ यह नहीं है कि सहकारी समितियों को विफलता के लिए तैयार किया जाता है। इसके विपरीत, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कुशल और जीवंत सहकारी समितियां, लोकतांत्रिक, आत्मनिर्भर और स्व-प्रबंधित संस्थानों के रूप में संगठित और प्रबंधित, विशाल संसाधन-गरीबों के लिए सर्वोत्तम साधन प्रदान करती हैं। और देश की आबादी के संसाधन-विहीन वर्गों को अपने रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए।

शिव शंकर एटल (2014) ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य में गुणवत्ता और मात्रा के मामले में भारी कमी के साथ, राज्य को सहकारी ऋण प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उठानी

पड़ती है। आम आदमी के निम्न जीवन स्तर, अधूरे और अपूर्ण बाजारों और अन्य सामाजिक राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि उसके नागरिकों की सहकारी ऋण तक आसान पहुंच हो, विशेष रूप से सकल मूल स्तर पर।

चंदर और चंदेल(2010) ने हार्को बैंक की वित्तीय दक्षता और व्यवहार्यता का विश्लेषण किया और पूंजी पर्याप्तता, तरलता, कमाई की गुणवत्ता और प्रबंधन पर बैंक का प्रदर्शन दक्षता पैरामीटर खराब पाया।

उद्देश्य

1. ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण हेतु।
2. आम नागरिकों को बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त करना।
3. देश के किसानों और गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
4. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु उद्योग और स्वरोजगार गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।

अनुसंधान क्रियाविधि:-

प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन द्वितीय स्रोतों पर आधारित है, जिनका संकलन विभिन्न शोध-पत्रों, पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रासंगिक वेबसाइटों से लिया गया है। सहकारी बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों व आरबीआई तथा नाबार्ड रिपोर्टों का भी अध्ययन शामिल किया गया है।

ऋण संरचना:-

स्वतंत्रता के बाद से अस्तित्व में आए केंद्रीय सहकारी बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे । कृषि और ग्रामीण विकास ऋण वितरण संबंधित कार्य राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। अल्पकालिक ऋण संरचना का प्रबंधन राज्य सहकारी बैंकों द्वारा किया जाता है, और व्यक्तिगत उधार कर्ताओं के साथ सीधे व्यवहार करने वाली सहकारी ऋण संस्थाएं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां संख्या में कम है। लंबी अवधि के सह-कोऑपरेटिव क्रेडिट संरचना का प्रबंधन राज्य सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा किया जाता है। बाला साहेब पाटिल समिति के अनुसार राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता हेतु 60:40 निर्धारित किया गया है जिसमें 60% केंद्र सरकार द्वारा व 40% राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट सोसायटीओं को वित्तीय

सहायता उपलब्ध करवाई , परंतु उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर के लिए यह अनुपात 90:10 तय किया गया है। समिति ने सिफारिश की है, कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी बांड पुनरुद्धार सहायता के रूप में जारी हो सकता है, समिति ने यह भी कहा है, कि एक पैनल का गठन किया जाए, जिसमें सचिव(वित्त), सचिव(कृषि), डिप्टी गवर्नर (आरबीआई) और अध्यक्ष (नाबार्ड) व सहकारी ऋण संस्थाओं के नीति निर्देशक, समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर सरकारें समिति गठित कर सकती है।

उल्लेखनीय है, कि भारत में 1482 शहरी सहकारी बैंक एवं 58 बहुराज्य सहकारी बैंक है। 27 जून 2020 को सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करके सभी 1540 शहरी सहकारी बैंक और बहुराज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षक के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है।

सहकारी बैंकों का प्रमुख महत्व ऋण देने को लेकर है, यह अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत अधिक सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, कुल ग्रामीण ऋण में उनका हिस्सा 67% है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में शिवालिक मर्केंटाइल को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक के रूप में परिवर्तित होने की अनुमति दे दी है। यह शहरी सहकारी बैंकों के स्वैच्छिक आधार पर लघु वित्त बैंकों के रूप में संक्रमण की योजना के अंतर्गत आरबीआई द्वारा किसी सहकारी बैंक को जारी प्रथम लाइसेंस है।

मई, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सिक्योरिटाइजेसन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट आफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 सहकारी बैंकों पर भी लागू होगा।

भारत में सहकारी बैंक तीन स्तर पर कार्यरत हैं 1. राज्य सहकारी बैंक, यह बैंक शीर्ष सहकारी बैंक होते हैं, जो राज्य विशेष में कार्यरत होते हैं। इनका प्रमुख कार्य केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना होता है।2. केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक इन बैंकों का कार्य क्षेत्र एक जिले तक सीमित होता है, यह बैंक राज्य सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। 3. प्राथमिक सहकारी साख समिति, यह सहकारी समितियां उत्पादक कार्यों जैसे कृषि क्षेत्र आदि के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। एक गांव अथवा क्षेत्र के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं।

क्रेडिट नीतियां:-

सरकार ने राज्यों के परामर्श से सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है, राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य, सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना है। सफल सहकारिता की दिशा में राज्यों के लिए मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करना है। नीति के तहत सरकारी समितियों को आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन प्रदान की जाए और सुनिश्चित करें ,कि वे स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित, जवाबदेही संस्थाओं के रूप में कार्य कर सक

केंद्रीय सहकारी बैंकों की कमजोरियों में से एक, अच्छी क्रेडिट नीति का नहीं होना है, जिसके कारण वह अंधाधुन उधार बांटते हैं। सदस्यों को उपलब्ध कराए जा रहे ऋण नीति के अंतर्गत, ऋण का प्रकार, पात्र आवेदित व्यक्ति, ऋण सीमा, ब्याज इत्यादि आते हैं यदि बैंकों की रणनीति अच्छी है, तो इन्हें बीमार होने से बचाया जा सकता है, तथा जीवंत संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकती हैं।

बैंकिंग नीति:-

इसके अंतर्गत विवेकपूर्ण मानदंडों पर नीतियां बनाना, निवेश नीतियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लक्ष्यों की निगरानी, पुनर्वित्त, ब्याज दरों पर निर्देश जारी करना इत्यादि आते हैं। पैरा बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित नीतियां, जैसे- मर्चेंट बैंकिंग, हायर परचेज, लीजिंग, इंश्योरेंस बिजनेस आदि भी इसी के द्वारा तैयार किए जाते । इसके अलावा यह स्थानीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में भी भाग लेता है। बैंकों के प्रकाशनों के लिए अपेक्षित सामग्री जैसे वार्षिक रिपोर्ट, बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट आदि उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा नीति बैंकिंग अधिनियम, 1949 के प्रावधानों की व्याख्या करती है, और सरकार के साथ समन्वय, विभिन्न मामलों में राज्य सरकारों के साथ मेल खाता है। राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन से संबंधित मामलों पर समन्वय करती है।

मौद्रिक-नीति:-

इसका मुख्य उद्देश्य नियमन, निगरानी करना, वार्षिक मौद्रिक और ऋण का कार्य नमन करना है। मौद्रिक नीति और मौद्रिक प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ इसकी कार्यात्मक भूमिका, विभाग वर्तमान में बाजार विश्लेषण, नीति मूल्यांकन और संबंधित तकनीकी पर अधिक जोर देता है।

विभाग एक बहू अनुशासनात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है, जिसकी मुख्य गतिविधियों में निम्न शामिल है-

1. माधुरी का अनुमान और मौद्रिक बजट तैयार करना।
2. ब्याज दरों सहित प्रमुख मौद्रिक और बैंकिंग समूचे गतिविधियों की निगरानी।
3. मौद्रिक और ऋण विकास की आर्थिक समीक्षा।
4. सीआरआर और एसएलआर के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अनुपालन की निगरानी और समीक्षा करना।
5. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के संबंध में वित्त सीमा की स्वीकृति और निगरानी।
6. चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधनों के डेटा संग्रह संकलन और विश्लेषण।
7. बैंकों की संसाधन प्रबंधन योजनाओं का विश्लेषण और चर्चा।

सुझावः-

यह आवश्यक है, कि ऋण का मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों में अपेक्षित क्षमता होनी चाहिए। अक्सर ऋण व अग्रिम प्रदान करना अक्षम मूल्यांकन अधिकारी के दोषपूर्ण मूल्यांकन के कारण खट्टा हो जाता है, इसके अंतर्गत यह वांछनीय है, कि बैंक मानक मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करे, जिसमें प्रक्रियाओं सहित विस्तारों के नवीनीकरण के मामलों में योग्य बाहरी एजेंसी द्वारा पुनर्मूल्यांकन और परिस्थितियों में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

- हालांकि, पूर्ण क्रेडिट जानकारी ही उचित रूप से सुनिश्चित और संतोषजनक तरीका है। उसकी वित्तीय क्षमता का निर्धारण, पर्याप्त और तुलनात्मक वित्तीय विवरणों की प्राप्ति, परिचालन विवरण और अन्य सांख्यिकीय सहायक विवरण, अन्य बैंकों से क्रेडिट रिपोर्ट और बाजार जरूरी है।
- सुरक्षित उधार सीमा का निर्धारण शाखा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रेडिट की अनुमति है, कि शाखाओं में समग्र नीति के भीतर और उनके द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित विभिन्न शक्तियों के तहत बैंक क्रेडिट प्रदान करे।
- शाखा प्रमुख सहित विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विवेकाधीन शक्तियां राज्य में अगले उच्च स्तर तक कार्यकारी अधिकारी की समीक्षा की जानी चाहिए।

सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि, समीक्षा बिना देर किए होता हो। अनधिकृत व्यवसाय को हतोत्साहित करना होगा।

निष्कर्ष:-

भारत में मौजूदा क्रेडिट संरचना और क्रेडिट नीतियों का अध्ययन निम्नलिखित निष्कर्ष देता है:जो उचित नहीं दिखता- i) बैंकों के पास वित्त पोषण के उचित मानदंड नहीं हैं, ii) सुरक्षा उपाय ऋण की वसूली के संबंध में उद्योग में भी उपलब्ध नहीं है, iii) ऋण के मूल्यांकन के लिए प्रणालीग्राहक प्रभावी और व्यवस्थित रूप से नहीं है और iv) बैंकिंग कर्मचारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है ऋण की वसूली के लिए।

यह सुझाव दिया जाता है, कि भविष्य के विस्तार के उद्देश्य के लिए बैंकों को लंबी अवधि के उधार पर निर्भर रहना चाहिए, अधिक हद तक, जो बिना किसी कारण के इक्विटी शेयरधारक को उच्च दर की वापसी सुनिश्चित करेगा, लंबी अवधि के लेनदारों के हितों के लिए कितना भी खतरा क्यों न हो।

***शोधार्थी**
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय
अलवर, राजस्थान

संदर्भ:-

1. बबीता अग्रवाल, "भारत में सहकारिता: इतिहास, समस्याएं और सुधार", नई सदी।प्रकाशन, 2012।
2. राम दत्त शर्मा, "अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस इन इंडिया", कमर्शियल लॉ पब्लिशर्स (इंडिया) प्रा। लिमिटेड, 2018।
3. व्हिटनी एडसन लियोन, "सहकारी क्रेडिट सोसायटी (क्रेडिट यूनियन)", प्रकाशक: नाबू प्रेस,2019 ।
4. "भारत: सामाजिक विकास रिपोर्ट 2018: भारत में बढ़ती असमानताएं", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. सहकारी समितियों और एनपीओ क्षेत्रों के लिए समिति (CCONPO), "सहकारी सोसायटी पर पुस्तिका" और गैर-लाभकारी संगठन", द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ

इंडिया, नई दिल्ली, 2013।

6. Dr.S.D GOKHALE problems and prospects of rural development in maharastra, shri vidya prakashan,pune

7. Emerging trends in Indian banking system, a souvenir 2010

8. Desai, Dhaval S (2013) performance Evaluation of Indian Banking Analysis.International journal of Research in Humanities and Social science vol.1, Issue: 6, August: 13 (IJRHS) ISSN: 2320-771X, Pp.30-36 www.raijmr.com